

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर

क्रमांक:-एफ-4 / वित्त / संस्था / (संविदा)2016 / 2907

दिनांक 18.05.2016

कार्यालय-आदेश

निम्नलिखित आगारों में वित्तीय कार्य (लेखा शाखा) हेतु पर्याप्त स्टाफ पदस्थापित नहीं होने के कारण स्टाफ की पूर्ति हेतु एजेन्सी के माध्यम से जॉब बेसिस पर व्यक्ति (मात्र एक) लिये जाने (वित्तीय नियम/शक्तियों को ध्यान में रखते हुये) की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.स	यूनिट का नाम
1.	के०का०जोधपुर
2.	देहली
3.	ब्यावर
4.	खेतडी
5.	श्रीमाधोपुर
6.	सरदारशहर
7.	अनुपगढ
8.	तिजारा
9.	सिरोही
10.	आबूरोड
11.	पाली
12.	फालना
13.	फलौदी
14.	चित्तौडगढ
15.	झालावाड
16.	बांरा
17.	बून्दी
18.	टोंक
19.	जैसलमेर आगार
20.	प्रतापगढ

उक्त आदेश श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात जारी किये जा रहे है।

(जी.डी.व्यास)

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-4 / वित्त / संस्था / (संविदा)2016 / 2907

दिनांक 18.05.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- कार्यकारी निदेशक (प्रशासन/यातायात), रापनि मु० जयपुर ।
- 2- निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक महोदय रापनि मु० जयपुर ।
- 3- निजी सचिव वित्तीय सलाहकार रापनि मु० जयपुर ।
- 4- मुख्य उत्पादन प्रबन्धक रारापप निगम के० का० जोधपुर।
- 5- मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(वित्त) रारापपनि ----- आगार।
- 6- आदेश पत्रावली ।

(श्रीराम मीना)

महा प्रबन्धक(वित्त-संस्था)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मु० जयपुर

क्रमांक:-एफ-4/वित्त/संस्था/(संविदा)2016/ 3132

दिनांक:- 26-5-16

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2907 दिनांक 18.05.16 में अधिकतम खर्च की सीमा 8,000/- रु. प्रतिमाह होगी।

(जी.डी.व्यास)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-4/वित्त/संस्था/(संविदा)2016/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- कार्यकारी निदेशक (प्रशासन/यातायात), रापनि मु० जयपुर।
- 2- निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक महोदय रापनि मु० जयपुर।
- 3- निजी सचिव वित्तीय सलाहकार रापनि मु० जयपुर।
- 4- मुख्य उत्पादन प्रबन्धक रारापप निगम के० का० जोधपुर।
- 5- मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(वित्त) रारापपनि ----- आगार।
- 6- आदेश पत्रावली।

(श्रीराम मीना)
महा प्रबन्धक(वित्त-संस्था)